

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 49 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, जून, 2022 ।

04 जुलाई

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.875 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 263/FP/UK/ROAD/120677/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 872/13सी0 दिनांक 23.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

निम्नवत है:-

क्र०सं०	लगाई गई आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्ताव में विषय सूची अंकित नहीं की गई है, विषय सूची पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
2	प्रस्ताव में वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-3 को संलग्न नहीं किया गया है।	वन संरक्षक स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में प्रभागीय वनाधिकारी की तिथि अंकित नहीं की गई है।	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में तिथि अंकित कर दी गई है।
4	प्रपत्र 11.1 एवं प्रपत्र -12 में क्रमांक 4 पर प्रभावित 0.9 है0 भूमि का स्पष्ट उल्लेख किया जायें।	प्रपत्र 11.1 एवं प्रपत्र -12 में क्रमांक 4 पर प्रभावित 0.9 है0 भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2017 द्वारा भारतीय अधिनियम 1893 की धारा 128 के अन्तर्गत समस्त बेनाप भूमि को रक्षित वनभूमि घोषित किया गया है। जिसके अनुसार प्रस्ताव में 0.90 है0 भूमि को भी वनभूमि में सम्मिलित किया गया है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना नई दरों के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न करे।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना नई दरों में बनाकर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-18 एवं 19 में प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है। प्रपत्र 19 एवं प्रस्ताव में संलग्न हवाई दूरी के प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी	प्रपत्र 18 एवं 19 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवा दिये गये हैं। प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी 395 मीटर है। जिस हेतु CWLW का प्रमाण पत्र प्राप्त है (संलग्न)। चूकि उक्त प्रस्ताव अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य से बाहर स्थित है, अतः उक्त में NBWL की संस्तुति/अनापत्ति

	मात्र 395 मीटर दर्शायी गई है। उक्त के क्रम में प्रस्ताव में NBWL की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7	मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र /प्लान एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करे तथा मलवा निस्तारण स्थलों को डिजिटल मानचित्र में दर्शाते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	मलवा निस्तारण हेतु चयनित स्थल का मानचित्र /प्लान एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। मलवा निस्तारण स्थल को डिजिटल मानचित्र में दर्शा दिया गया है।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।